

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**मांग संख्या 62**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1697.67	1941.81	3639.48	2435.94	2634.13	5070.07	1691.05	2606.13	4297.18	2438.32	3158.76	5597.08	
<b>पूँजी</b>	<b>5.22</b>	<b>0.67</b>	<b>5.89</b>	<b>10.16</b>	<b>0.97</b>	<b>11.13</b>	<b>8.95</b>	<b>0.87</b>	<b>9.82</b>	<b>10.28</b>	<b>0.97</b>	<b>11.25</b>	
<b>जोड़</b>	<b>1702.89</b>	<b>1942.48</b>	<b>3645.37</b>	<b>2446.10</b>	<b>2635.10</b>	<b>5081.20</b>	<b>1700.00</b>	<b>2607.00</b>	<b>4307.00</b>	<b>2448.60</b>	<b>3159.73</b>	<b>5608.33</b>	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	...	32.52	32.52	...	36.67	36.67	...	35.18	35.18	...	39.05	39.05	
<b>श्रम और रोजगार</b>													
<b>श्रम</b>													
2. अनुसंधान एवं सांख्यिकी	2230	18.80	8.23	27.03	31.60	9.10	40.70	16.70	8.95	25.65	43.07	9.78	52.85
	4250	0.06	0.02	0.08	0.25	0.03	0.28	0.15	0.03	0.18	0.25	0.03	0.28
<b>जोड़</b>		<b>18.86</b>	<b>8.25</b>	<b>27.11</b>	<b>31.85</b>	<b>9.13</b>	<b>40.98</b>	<b>16.85</b>	<b>8.98</b>	<b>25.83</b>	<b>43.32</b>	<b>9.81</b>	<b>53.13</b>
3. औद्योगिक संबंध	2230	12.14	42.58	54.72	16.26	46.05	62.31	15.00	45.04	60.04	19.31	49.19	68.50
	4250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>		<b>12.14</b>	<b>42.58</b>	<b>54.72</b>	<b>16.26</b>	<b>46.05</b>	<b>62.31</b>	<b>15.00</b>	<b>45.04</b>	<b>60.04</b>	<b>19.31</b>	<b>49.19</b>	<b>68.50</b>
4. कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा	2230	17.08	53.07	70.15	15.07	58.53	73.60	9.62	56.03	65.65	20.30	61.25	81.55
	4250	1.26	...	1.26	0.56	0.05	0.61	0.35	0.04	0.39	0.26	0.05	0.31
<b>जोड़</b>		<b>18.34</b>	<b>53.07</b>	<b>71.41</b>	<b>15.63</b>	<b>58.58</b>	<b>74.21</b>	<b>9.97</b>	<b>56.07</b>	<b>66.04</b>	<b>20.56</b>	<b>61.30</b>	<b>81.86</b>
5. श्रमिक कल्याण योजनाएं	2230	...	231.80	231.80	...	256.44	256.44	...	239.91	239.91	...	264.61	264.61
	3601	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
	4250	...	0.76	0.76	...	8.28	8.28	...	7.45	7.45	...	8.28	8.28
<b>जोड़</b>		...	<b>232.56</b>	<b>232.56</b>	...	<b>264.73</b>	<b>264.73</b>	...	<b>247.37</b>	<b>247.37</b>	...	<b>272.90</b>	<b>272.90</b>
6. श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण													
6.01 बीडी कामगार कल्याण निधि													
6.01.01 को	2230	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00
6.01.02 से	2230	...	-158.99	-158.99	...	-151.84	-151.84	...	-152.67	-152.67	...	-151.85	-151.85
	3601	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...
	4250	...	-0.66	-0.66	...	-8.15	-8.15	...	-7.33	-7.33	...	-8.15	-8.15
<b>जोड़</b>		...	<b>-159.65</b>	<b>-159.65</b>	...	<b>-160.00</b>	<b>-160.00</b>	...	<b>-160.00</b>	<b>-160.00</b>	...	<b>-160.00</b>	<b>-160.00</b>
<b>कुल</b>		...	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6.02 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि													
6.02.01 को	2230	...	2.15	2.15	...	2.34	2.34	...	2.34	2.34	...	2.54	2.54
6.02.02 से	2230	...	-2.06	-2.06	...	-2.33	-2.33	...	-2.32	-2.32	...	-2.53	-2.53
	4250	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
	जोड़	...	-2.06	-2.06	...	-2.34	-2.34	...	-2.33	-2.33	...	-2.54	-2.54
	कुल	...	0.09	0.09	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
6.03 लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान, क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि													
6.03.01 को	2230	...	13.56	13.56	...	14.78	14.78	...	14.78	14.78	...	15.65	15.65
6.03.02 से	2230	...	-12.39	-12.39	...	-14.74	-14.74	...	-14.23	-14.23	...	-15.61	-15.61
	4250	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04	...	-0.04	-0.04
	जोड़	...	-12.43	-12.43	...	-14.78	-14.78	...	-14.27	-14.27	...	-15.65	-15.65
	कुल	...	1.13	1.13	...	...	...	...	0.51	0.51	...	...	...
6.04 चूनापत्थर और डोलोमाइट कल्याण निधि													
6.04.01 को	2230	...	13.05	13.05	...	14.25	14.25	...	14.25	14.25	...	14.98	14.98
6.04.02 से	2230	...	-12.01	-12.01	...	-14.18	-14.18	...	-13.59	-13.59	...	-14.91	-14.91
	4250	...	-0.05	-0.05	...	-0.07	-0.07	...	-0.06	-0.06	...	-0.07	-0.07
	जोड़	...	-12.06	-12.06	...	-14.25	-14.25	...	-13.65	-13.65	...	-14.98	-14.98
	कुल	...	0.99	0.99	...	...	...	...	0.60	0.60	...	...	...
6.05 सिने श्रमिक कल्याण निधि													
6.05.01 को	2230	...	1.63	1.63	...	1.78	1.78	...	1.78	1.78	...	1.81	1.81
6.05.02 से	2230	...	-1.47	-1.47	...	-1.77	-1.77	...	-1.64	-1.64	...	-1.80	-1.80
	4250	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
	जोड़	...	-1.48	-1.48	...	-1.78	-1.78	...	-1.65	-1.65	...	-1.81	-1.81
	कुल	...	0.15	0.15	...	...	...	...	0.13	0.13	...	...	...
जोड़- श्रमिक कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण													
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा													
7. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	2230	...	1400.00	1400.00	...	2040.00	2040.00	...	2016.28	2016.28	...	2540.00	2540.00
8. असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना	2230	...	15.19	15.19	...	16.88	16.88	...	35.38	35.38	...	16.88	16.88
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)													
9.01 असंगठित क्षेत्रक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा /राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	2230	1001.71	...	1001.71	1136.47	...	1136.47	789.00	...	789.00	110.00	...	110.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3601	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...	
जोड़	1001.71	...	1001.71	1141.47	...	1141.47	794.00	...	794.00	110.00	...	110.00	
9.02 घटाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से पूरी की गई धनराशि	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
कुल	1001.71	...	1001.71	1141.47	...	1141.47	794.00	...	794.00	110.00	...	110.00	
<b>जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा श्रमिक शिक्षा</b>	<b>1001.71</b>	<b>1415.19</b>	<b>2416.90</b>	<b>1141.47</b>	<b>2056.88</b>	<b>3198.35</b>	<b>794.00</b>	<b>2051.66</b>	<b>2845.66</b>	<b>110.00</b>	<b>2556.88</b>	<b>2666.88</b>	
10. केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	2230	8.92	51.41	60.33	21.95	53.65	75.60	18.95	46.68	65.63	21.95	50.92	72.87
11. राष्ट्रीय श्रम संगठन	2230	8.12	2.93	11.05	5.40	3.25	8.65	5.40	3.25	8.65	5.62	3.50	9.12
<b>जोड़-श्रमिक शिक्षा</b>	<b>17.04</b>	<b>54.34</b>	<b>71.38</b>	<b>27.35</b>	<b>56.90</b>	<b>84.25</b>	<b>24.35</b>	<b>49.93</b>	<b>74.28</b>	<b>27.57</b>	<b>54.42</b>	<b>81.99</b>	
12. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	3601	3.19	...	3.19	...	...	...	...	...	...	...	...	
13. बाल/महिला श्रमिक की कार्य दशा में सुधार	2230	128.01	...	128.01	180.00	...	180.00	100.00	...	100.00	157.50	...	157.50
14. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2230	...	11.32	11.32	...	9.91	9.91	...	18.41	18.41	...	14.08	14.08
15. अन्य मदें	2230	1.50	0.10	1.60	2.95	0.74	3.69	2.35	0.67	3.02	2.50	0.74	3.24
<b>जोड़-श्रम रोजगार और प्रशिक्षण</b>	<b>1200.79</b>	<b>1820.12</b>	<b>3020.91</b>	<b>1415.51</b>	<b>2502.92</b>	<b>3918.43</b>	<b>962.52</b>	<b>2479.38</b>	<b>3441.90</b>	<b>380.76</b>	<b>3019.32</b>	<b>3400.08</b>	
16. रोजगार													
16.01 रोजगार	2230	3.66	35.17	38.83	2.80	38.02	40.82	2.80	36.78	39.58	4.30	40.50	44.80
	4250	0.07	0.12	0.19	0.20	0.22	0.42	0.20	0.20	0.40	0.20	0.22	0.42
जोड़	3.73	35.29	39.02	3.00	38.24	41.24	3.00	36.98	39.98	4.50	40.72	45.22	
<b>प्रशिक्षण</b>													
17. प्रशिक्षण													
17.01 सामान्य संघटक	2230	380.90	49.17	430.07	512.63	51.56	564.19	329.22	50.11	379.33	235.64	54.79	290.43
	3601	34.64	...	34.64	96.23	...	96.23	63.43	...	63.43	...	...	...
	3602	...	...	...	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03	...	...	...
	4250	3.80	0.50	4.30	9.08	0.60	9.68	8.18	0.54	8.72	9.50	0.60	10.10
जोड़	419.34	49.67	469.01	617.99	52.16	670.15	400.86	50.65	451.51	245.14	55.39	300.53	
17.02 ईएपी संघटक/कौशल विकास	2230	6.64	...	6.64	14.50	...	14.50	14.50	...	14.50	70.65	...	70.65
	3601	66.13	...	66.13	133.80	...	133.80	133.80	...	133.80	...	...	...
	3602	0.07	...	0.07	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	...	...	...
जोड़	72.84	...	72.84	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	70.65	...	70.65	
17.03 सरकारी निजी भागीदारी के द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण													
17.03.01 सरकारी निजी भागीदारी के	6250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को ऋण													
17.03.02 घटाइए : सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6250	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<i>कुल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<i>जोड़- प्रशिक्षण</i>	492.18	49.67	541.85	767.99	52.16	820.15	550.86	50.65	601.51	315.79	55.39	371.18	
<b>जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण</b>	<b>495.91</b>	<b>84.96</b>	<b>580.87</b>	<b>770.99</b>	<b>90.40</b>	<b>861.39</b>	<b>553.86</b>	<b>87.63</b>	<b>641.49</b>	<b>320.29</b>	<b>96.11</b>	<b>416.40</b>	
<b>जोड़-श्रम और रोजगार</b>	<b>1696.70</b>	<b>1905.08</b>	<b>3601.78</b>	<b>2186.50</b>	<b>2593.32</b>	<b>4779.82</b>	<b>1516.38</b>	<b>2567.01</b>	<b>4083.39</b>	<b>701.05</b>	<b>3115.43</b>	<b>3816.48</b>	
18. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	6.16	4.85	11.01	7.13	5.04	12.17	7.13	4.75	11.88	11.63	5.18	16.81
	4225	0.03	0.03	0.06	0.07	0.07	0.14	0.07	0.06	0.13	0.07	0.07	0.14
<i>जोड़</i>	6.19	4.88	11.07	7.20	5.11	12.31	7.20	4.81	12.01	11.70	5.25	16.95	
19. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था													
19.01 सामान्य संघटक	2552	...	...	...	252.40	...	252.40	176.42	...	176.42	45.90	...	45.90
19.02 ईएपी संघटक/कौशल विकास	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19.03 घटाएं - राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि से धनराशि	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>कुल</i>	...	...	...	252.40	...	252.40	176.42	...	176.42	45.90	...	45.90	
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना</b>													
20. असंगठित कामगार हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	119.23	...	119.23
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1205.07	...	1205.07
<i>जोड़</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1324.30	...	1324.30
21. कौशल विकास मिशन													
21.01 कार्यक्रम संघटक - राज्य आयोजना	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	152.83	...	152.83
21.02 कार्यक्रम संघटक -संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
21.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	84.47	...	84.47
21.04 ईएपी संघटक	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125.22	...	125.22
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.13	...	2.13
<i>जोड़</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	127.35	...	127.35
<i>जोड़- कौशल विकास मिशन</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	365.65	...	365.65
<b>जोड़-राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	<b>1689.95</b>	...	<b>1689.95</b>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>कुल जोड़</b>	<b>1702.89</b>	<b>1942.48</b>	<b>3645.37</b>	<b>2446.10</b>	<b>2635.10</b>	<b>5081.20</b>	<b>1700.00</b>	<b>2607.00</b>	<b>4307.00</b>	<b>2448.60</b>	<b>3159.73</b>	<b>5608.33</b>	
<b>विकास शीर्ष</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	
<b>ग. योजना परिव्यय*</b>													
<b>केन्द्रीय योजना:</b>													
1. श्रम एवं रोजगार	22230	1720.43	...	1720.43	2264.40	...	2264.40	1539.54	...	1539.54	748.45	...	748.45
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	22225	6.19	...	6.19	7.20	...	7.20	7.20	...	7.20	11.70	...	11.70
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	252.40	...	252.40	176.42	...	176.42	45.90	...	45.90
<b>जोड़ - केन्द्रीय योजना</b>		<b>1726.62</b>	...	<b>1726.62</b>	<b>2524.00</b>	...	<b>2524.00</b>	<b>1723.16</b>	...	<b>1723.16</b>	<b>806.05</b>	...	<b>806.05</b>
<b>राज्य योजना:</b>													
1. असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1324.30	...	1324.30
2. कौशल विकास मिशन	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	362.52	...	362.52
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	<b>1686.82</b>	...	<b>1686.82</b>
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना :</b>													
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)</b>													
1. कौशल विकास मिशन	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.13	...	3.13
<b>जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना</b>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	<b>3.13</b>	...	<b>3.13</b>
<b>जोड़</b>		<b>1726.62</b>	...	<b>1726.62</b>	<b>2524.00</b>	...	<b>2524.00</b>	<b>1723.16</b>	...	<b>1723.16</b>	<b>2496.00</b>	...	<b>2496.00</b>
<i>*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन</i>													
मांग संख्या 103	22230	0.56	...	0.56	6.50	...	6.50	1.16	...	1.16	10.35	...	10.35
मांग संख्या 104	22230	23.17	...	23.17	71.40	...	71.40	22.00	...	22.00	37.05	...	37.05
<b>जोड़</b>		<b>23.73</b>	...	<b>23.73</b>	<b>77.90</b>	...	<b>77.90</b>	<b>23.16</b>	...	<b>23.16</b>	<b>47.40</b>	...	<b>47.40</b>

- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:-** इसके अंतर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।
- अनुसंधान एवं सांख्यिकी:-** इसके अंतर्गत श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में आंकड़ों का संग्रहण एवं उनका प्रकाशन, जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण और अनुसंधान विषयक अध्ययन करने की व्यवस्था की गयी है।
- औद्योगिक संबंध:-** इसके अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुधारने तथा श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वयन का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिए

तथा काम की अन्य स्थितियों व मजदूरी को नियमित करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करने, समझौतों और पंचायतों, श्रम कानूनों का शीघ्र कार्यान्वयन करने से संबंधित खर्च की व्यवस्था शामिल है।

- कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा:-** इसके अंतर्गत कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, जो गोदी कामगारों और कारखाना कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, के लिए व्यवस्था है। इसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय, जो कोयला तथा कोयला-भिन्न खानों और तेल क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है, के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

5. **श्रमिक कल्याण योजनाएं:-** इसके अंतर्गत बीडी कामगारों, अन्नक खानों, लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (कोयला खानों के कामगारों को छोड़कर) चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिने कामगारों हेतु कल्याण योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। इस खर्च को संबंधित श्रम कल्याण अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए और वसूल किए गए उपकर से पूरा किया जाता है, जिसे सरकारी खाते की आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

6. **श्रम कल्याण निधियों को/से निवल अंतरण:-** यह विभिन्न श्रम कल्याण निधियों को उपकरणों की अंतरित राशि और इन निधियों से श्रम कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि के अंतर का प्रतीक है।

7. **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995:-** इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के परिवारों हेतु पेंशन और जीवन बीमा के लाभों के लिए प्रावधान है। इसमें नई योजना के लिए सरकार के अंशदान हेतु प्रावधान है। इसमें पारिश्रमिक वृद्धि और पेंशन अंशदान के लिए अनंतिम धनराशि सहित श्रम सुधारों हेतु 500.00 करोड़ रूपए की धनराशि शामिल है।

8. **असम में बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना, असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा-सहबद्ध-बीमा योजना:-** बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन तथा जीवन-बीमा योजना और चाय बागान कामगारों के लिए जमा सहबद्ध बीमा योजना असम राज्य सरकार के माध्यम से असम के उन बागान कामगारों के लिए प्रशासित की जाती है जो असम चाय बागान भविष्य निधि द्वारा शासित किए जाते हैं और इन पर परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रावधान में इस योजना के लिए केन्द्र सरकार के अंशदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था है।

9. **असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** असंगठित क्षेत्र के कामगार, जो श्रम बल का लगभग 94 प्रतिशत हिस्सा हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक मुख्य असुरक्षा यह है कि मजदूर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा उपचार के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पहली अक्टूबर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करके एक शुरुआत की है। पहली अप्रैल, 2008 से श्रमिकों को इसका लाभ मिलने लगा है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के लिए 30,000 रूपए के स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करती है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

10. **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड :-** भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में स्थापित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 1957 में आयोजित पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए श्रमिकों की शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

11. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान :-** 1972 में स्थापित वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन आदि सहित अनुसंधान का कार्य करता है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

12. **बंधुआ मजूदरों का पुनर्वास:-** यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम है जो कि राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ मजूदरों के पुनर्वास से संबंधित उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए है। योजना का आयोजन द्वारा असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना में पहले ही विलय कर दिया गया है।

13. **बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार लाना :-** इसके अंतर्गत बाल/महिला श्रमिकों के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

14. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :-** अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक अभिदान की अदायगी करना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रोजगार संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल को आवास तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि जुटाना शामिल है।

15. **अन्य मदें: (i)** इसमें मंत्रालय में कार्यकुशलता में और सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था शामिल है।

(ii) प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और युद्ध में घायल कामगारों तथा नागरिकों को पेंशन/मुआवजे की अदायगी।

(iii) अनुसंधान/शैक्षिक संस्थाओं आदि को सहायता अनुदान।

16. **रोजगार :-** रोजगार योजनाओं में मुख्य रूप से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्रेणियों को रोजगार संबंधी सहायता, अपंगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा साथ ही रोजगार सेवाओं में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

17. **प्रशिक्षण:-** इस मद के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है:-

(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन: (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नत करने के लिए है। इनसे, 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को घरेलू संसाधनों तथा शेष 400 को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाना है।

(ख) सरकार ने सरकारी-निजी भागीदारी के अन्तर्गत विशिष्ट ट्रेडों और कौशलों में 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नत करने की योजना शुरू की है। संस्थान विकास योजनाओं (आईडीपी) के आधार पर निधियां जारी की जा रही हैं। उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में इन संस्थानों के उन्नयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

(ii) उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण- केन्द्रीय क्षेत्र की इस स्कीम का उद्देश्य परिचालन और अनुरक्षण, दोनों ही क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी के लिए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को विकसित करना है।

(iii) विद्यालयों से बाहर के युवाओं, कर्मचारियों, आईटीआई स्नातकों आदि को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि आईटीआई/आईटीसी और अन्य संगठनों में उपलब्ध आधारभूत ढांचे का इष्टतम उपयोग करके इस स्कीम में उन सभी की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा जो अपनी रोजगार क्षमता को सुधारने के लिए अपने हुनर को बढ़ाना या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यक्तियों के विद्यमान कौशल का परीक्षण भी किया जाता है और उसे प्रमाणित किया जाता है। असंगठित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता वाले पाठ्यक्रमों पर भी जोर दिया जाएगा।

(iv) अन्य स्कीमें- इसमें रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिए उत्तरदायी भारत के एक शीर्ष संगठन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित अनेक छोटी-छोटी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।

'करियर सेंटर' के रूप में रोजगार कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए 50.00 करोड़ रूपए का विशिष्ट प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 5.00 करोड़ रूपए की धनराशि शामिल है।

18. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याणः** इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र शामिल है। ये शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अभिकरणों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने की एक दूसरी योजना भी कुछ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में आरम्भ की गई है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसमें एससीएसपी और टीएसपी हेतु आवंटित निधियां शामिल हैं।

19. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधानः** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।

20 & 21. **राज्य और संघ शासित प्रदेश आयोजनाः** राज्य और संघ शासित प्रदेश आयोजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।